राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

निर्णय

ओम प्रकाश शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 808/1998

अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान

निर्णय दिनांक
15.11.2006

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सुदेश बंसल, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री एस के गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

.....

न्यायालय द्वारा:-

नगरपालिका खण्डेला ने एक वर्ष की चुंगी/टी.पी.संग्रहण ठेके के संबंध में निविदा सूचना प्रकाशित की थी, जिसकी पालना में ओपन आक्शन दिनांक 19.11.1997 को हुआ था। प्रार्थी ने उक्त ओपन आक्शन में ओम प्रकाश शर्मा एण्ड पार्टी के नाम से भाग लिया था तथा धरोहर राशि 1,12,000/- जरिये रसीद दिनांक 19.11.1997 को जमा करवाई थी। प्रार्थी की टेण्डर नीलामी रूपये 33,55,000/- तय पाई गई थी। टेण्डर खोलने पर प्रथम उच्च बोली मोदी एण्ड पार्टी की पाई गई थी। प्रथम टेण्डरदाता के हां या ना के ततपश्चात प्रार्थी को टेण्डर की स्वीकृति देनी थी। प्रथम बोलीदाता मोदी एण्ड पार्टी द्वारा जब स्वीकृति मुताबिक ठेके की राशि जमा नहीं करवाई गई तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली गई। प्रार्थी द्वितीय उच्च बोलीदाता था, अत: उसे ठेका देने के संबंध में रजिस्टर्ड सूचना भेजी, किन्तु तामील नहीं

होने की स्थिति में प्रार्थी के विरूद्व दिनांक 02.02.1998 को नोटिस अखबार में छपवाया गया, जिसके द्वारा प्रार्थी को 48 घण्टे में बकाया राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया। 48 घण्टे का समय समाप्त होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि 1,12,000/- जब्त करने हेतु नोटिस में लिखा गया। उक्त आदेश को निरस्त करने के संबंध में तथा धरोहर राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी ने यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

2. रिट याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि नगरपालिका मण्डल खण्डेला ने यह तय किया था कि चुंगी/टी.पी.संग्रहण ठेके संबंधी कार्यवाही नगरपालिका द्वारा ही किया जाना उचित होगा। नगरपालिका, खण्डेला द्वारा दिनांक 27.12.1997 को चुंगी/टी.पी.संग्रहण के संबंध में निर्णय ले लिया गया था, ऐसी स्थिति में दिनांक 04.02.1998 को प्रार्थी से धरोहर राशि जब्त किया जाना न्यायोचित नहीं था।

3. अप्रार्थीगण की और से रिट याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी की तामील कराने हेतु नगरपालिका का कर्मचारी चौथमल दिनांक 29.11.1997 को गया था। प्रार्थी ने नोटिस पढकर कहा था कि वह आवश्यक कार्य से गांव जा रहा है। आकर नोटिस लूंगा। दिनांक 01.12.1997 को पुन: चौथमल, प्रार्थी के पास गया था तो प्रार्थी ने नोटिस लेने से मना कर दिया। अप्रार्थीगण की और से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.12.1997 को नोटिस पढने के बाद पत्र दिनांक 04.12.1997 प्रदर्श 3 नगरपालिका खण्डेला को लिखा, जिसमें उसने अपरिहार्य कारणोंवश अपना टेण्डरफार्म विड्रा करने की प्रार्थना की और धरोहर राशि रूपये 1,12,000/- लौटाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने स्वयं कान्ट्रेक्ट का उल्लंघन किया है और उसे धरोहर राशि प्रदान नहीं की जा सकती है।

4. मैंने पक्षकारों की और से प्रस्तुत तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना तथा अभिलेख का परीक्षण किया।

5. दिनांक 27.12.1997 को नगरपालिका खण्डेला ने निम्न प्रस्ताव पारित किया था-

"नगरपालिका खण्डेला की चुंगी कर को ठेके पर देने पर विचार

मण्डल के सम्मुख अध्यक्ष महोदय द्वारा न्.पा.चुंगी/टी.पी. संग्रहण के ठेके की पत्रावली प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रथम उच्च बोली दाता मोदी एण्ड पार्टी द्वारा शर्तो के मुताबिक ठेका लेने की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई है।

द्वितीय उच्च बोलीदाता श्री ओम प्रकाश शर्मा एण्ड पार्टी को चुंगी /टी.पी. कर को ठेके पर लेने बाबत कार्यवाही की गई। दो बार रजिस्टर्ड सूचना भेजने के बाद में भी दिये गये पते पर नोटिस तामील नहीं हो सका है।

इस संबंध में न.पा. के कानूनी सलाहकार से भी राय ली गई, तो बताया कि नोटिस को अखबार में साया करवाया जाना तथा मण्डल की बैठक में विचार कर निर्णय लिया जाना उचित होगा। प्रथम उच्च बोली दाता की प्रतिभूति राशि जब्त हो जाने के बाद में द्वितीय उच्च बोलीदाता ने अभी तक नोटिस नहीं लिया है। मण्डल इस पर विचार कर निर्णय करें।

मण्डल में उपस्थित सभी सदस्यों ने चुंगी/टी.पी.संग्रहण की पत्रावली का अवलोकन किया तथा अब तक न.पा. द्वारा वसूल की गई चुंगी/टी.पी. संग्रहण का भी अवलोकन किया एवं विचार विमर्श किया कि इस संबंध में अब सभी उपस्थित सदस्यों की राय है कि चुंगी/टी.पी.संग्रहण को ठेके पर न देकर, न.पा. के द्वारा ही चुंगी/टी.पी.संग्रहण की कार्यवाही की जावे तो उचित रहेगा।

बाद विचार विमर्श उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब तक चुगी /टी.पी.संग्रहण ठेके संबंधी की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाती है एवं अध्यक्ष महोदय, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग से मार्गदर्शन लेकर मण्डल की आगामी बैठक में निर्णय वास्ते प्रस्तुत करे।"

6. उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चुंगी/टी.पी.संग्रहण की कार्यवाही नरगपालिका ने स्वयं करने का निर्णय लिया था। जहां तक दिनांक 01.12.1997 को प्रार्थी को दी गई जानकारी का संबंध है, मेरा यह मानना है कि यदि उक्त तिथि को तामील पर्याप्त मानी गई थी तो फिर् दिनांक 27.12.1997 की प्रोसिडिंग में यह अंकित क्यों किया गया है कि प्रार्थी की तामील नहीं हो सकी है और किस आधार पर दिनांक 02.02.1998 को प्रार्थी के नोटिस समाचार पत्र में छपवाये गये, इस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण अप्रार्थीगण की और से नहीं दिया जा सका है। दिनांक 04.02.1998 को नगरपालिका खण्डेला की कार्यवाही निम्न प्रकार अंकित की गई है-

"ओम प्रकाश शर्मा एण्ड पार्टी (द्वितीय उच्चतम बोलीदाता) को नोटिस बाबत सिक्योरिटी राशि जमा कराकर ठेका संभालने का जारी किया गया था। बार बार प्रयास के बाद नोटिस लेने से मना करने व रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने एवं अखबार में साया कराने के बाद भी उपलब्ध नहीं मिलने से प्रतीत होता है कि पार्टी ठेका नहीं लेना चाहती है। दिया गया समय भी समाप्त हो गया है।

श्रीमान उपनिदेशक महोदय, क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 201 दिनांक 20.01.1998 के निर्देशानुसार ओम प्रकाश एण्ड पार्टी की प्रतिभूति राशि 1,12,000/- रूपये जब्त किया जाना उचित है। अत: आदेशार्थ पेश है।"

इसके उपरान्त अध्यक्ष नगरपालिका ने निम्न आदेश पारित किया-

"ओमप्रकाश शर्मा एण्ड पार्टी (उच्चतम द्वितीय बोलीदाता) की जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1,12,000/- जब्त की जाती है। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।"

दिनांक 04.02.1998 को उक्त आदेश के बाद निम्न कार्यवाही अंकित है-

"श्रीमान जी,

ओमप्रकाश शर्मा एण्ड पार्टी की और से श्री शंकर लाल शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि सिक्योरिटी जब्त न की जावे। राजस्थान हाईकोर्ट में रिट लगाई है। जबकि सिक्यूरिटी जब्त की जा चुकी है।

अत: वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पेश है।"

इसके उपरान्त दिनांक 04.02.1998 को कानूनी सलाहकार केदारलाल ने निम्न राय दी-

"महोदय,

श्री ओम प्रकाश शर्मा व श्री बनवारी लाल अग्रवाल के प्रार्थना पत्र व उनके अलावा फोटो प्रति रिट का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक बोर्ड के विरूद्व कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया, ऐसी सूरत में बोर्ड अपनी कार्यवाही चालू रखने में स्वतंत्र है। चूंकि श्री ओम प्रकाश नम्बर 2 की सिक्यूरिटी राशि जब्त की जा चुकी है। इसलिए नम्बर 3 श्री बनवारी लाल अग्रवाल को ठेका राशि टेण्डर अनुसार जमा कराने व ठेका संभालने का नया नोटिस दिया जाना उचित व वैध होगा।"

7 मेरे समक्ष प्रार्थी की और से बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका नम्बर 601/1998, जो दिनांक03.05.2005 को निर्णित की गई है, के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा इस न्यायालय

की एकलपीठ ने बनवारी लाल द्वारा जमा कराई गई राशि 1,12,000/- 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस करने का निर्देश दिया है।

8. अभिलेख के अनुशीलन के पश्चात निम्न तथ्य उभरकर सामने आते है-

1. दिनांक 27.12.1997 की बैठक में नगरपालिका खण्डेला ने चुंगी/टी.पी.संग्रहण की कार्यवाही नगरपालिका ने स्वयं करने करने का निर्णय लिया था।

2. दिनांक 04.02.1998 की आदेशिका में उप निदेशक, क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 201 दिनांक 20.01.1998 द्वारा प्रार्थी की धरोहर राशि को जब्त करने का निर्देश दे दिया गया।

3. उक्त निर्देश के बाद दिनांक 02.02.1998 को समाचार पत्र में प्रार्थी के नोटिस प्रकाशित करवाये गये, जिसमें प्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने के लिए 48 घण्टे का समय दिया गया। प्रार्थी ने 48 घण्टे समाप्त होने से पूर्व दिनांक 03.02.1998 को यह रिट याचिका प्रस्तुत कर दी, जिसकी सूचना दिनांक 04.02.1998 को नगरपालिका खण्डेला को दे दी गई। नगरपालिका खण्डेला ने दिनांक 04.02.1998 को प्रार्थी की धरोहर राशि 1,12,000/- जब्त करने का निर्देश दे दिया।

4. नगरपालिका खण्डेला के कानूनी सलाहकार ने इस जानकारी के बावजूद कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है, यह कानूनी राय दी कि चूंकि स्थगन आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए जब्ती की कार्यवाही उचित एवं वैध है।

9. मेरा यह निश्चित मत है कि जब नगरपालिका खण्डेला को यह ज्ञात हो गया था कि प्रार्थी दिनांक 03.02.1998 को रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर चुका है तो उसे स्थगन आदेश की प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए

थी बल्कि उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा करनी चाहिए थी या उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिट याचिका की सूचना के बावजूद प्रार्थी के अधिकारों के संबंध में निर्णय लेने की और अग्रसर होना किसी भी स्थिति में यथोचित नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी धरोहर राशि जब्त करने का मानस उप निदेशक, क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 201 दिनांक 20.01.1998 के आधार पर बनाया जा चुका था। दिनांक 02.02.1998 को जो नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया था वह मात्र औपचारिकता थी। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.12.1997 की मीटिंग में जब एक बार चुंगी/टी.पी.संग्रहण की कार्यवाही नरगपालिका ने स्वयं करने का निर्णय लिया था तो दिनांक 04.02.1998 को धरोहर राशि को जब्त करने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च बोलीदाता नम्बर-3 बनवारी लाल की धरोहर राशि भी नगरपालिका ने जब्त की थी, जिसके संबंध में बनवारी लाल ने रिट याचिका संख्या 601/1998 इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जो कि इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 03.05.2005 द्वारा स्वीकार की गई है और नगरपालिका खण्डेला को निर्देश दिया गया है कि वह बनवारी लाल को रूपये 1,12,000/- वापिस लौटाये।

10. प्रकरण की समग्र परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अप्रार्थीगण का कृत्य स्वेच्छाचारी है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है। अत: रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी नगरपालिका खण्डेला को निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी की धरोहर राशि 1,12,000/- इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के 30 दिवसों के भीतर

भीतर वापिस लौटाये। प्रार्थी धरोहर राशि पर दिनांक 03.02.1998(रिट याचिका प्रस्तत करने की तिथि) से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)